

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// संशोधन आदेश //

क्रमांक C/4567 /

जबलपुर, दिनांक 22/10/2019

II-14-77/19

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/4317/जबलपुर, दिनांक 27.08.19 में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती अर्चना पाण्डेय, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 01.01.19 से 29.06.19 तक 180 दिन का लघुकृत के स्थान पर प्रसूति अवकाश पढ़ा जावे।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही/-

(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

✍


पृष्ठांकन क्रमांक C/4568 /

जबलपुर, दिनांक 22/10/2019

II-14-77.19

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके Memo No. Leave 1912 Indore, Dated 04/10/19 एवं Memo No. Leave/1338 Indore, Dated 11/07/19 के सदर्थ में श्रीमती अर्चना पाण्डेय, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट का आवेदन पत्र एवं संलग्न सहपत्र सहित वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न उपरोक्तानुसार।
2. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को ओर संशोधन आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोषित।
4. सहायक अवकाश स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोषित।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

✍